

लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/आई.टी.सेल/आउटसोर्स/149/2020/178

भोपाल, दिनांक 02.03.2021

— आदेश —


वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना क्रमांक 6968-शालाओं का उन्नयन अंतर्गत जेम पोर्टल के माध्यम से मॉडल स्कूलों में आउटसोर्स पर रखे गये डाटा एन्ट्री आपरेटर्स के मानदेय हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त मांग पत्र अनुसार राशि आवंटित की जा रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	जिले का नाम	मॉडल स्कूल का नाम	मॉडल स्कूल में कार्यरत आपरेटर्स संख्या	भुगतान की स्थिति (तक)	आवंटित राशि
1	MANDLA	नारायणगंज, बीजाडांडी, निवास, मोहगांव, धुधरी, बिछिया, मवाई	7	Mar-21	331981
2	DHAR	धार, तिरला, सरदारपुर, बाग, कुक्षी, निसरपुर, डही, गंधवानी, मनावर, उमरबन, धरमपुरी, नालछा	12	Mar-21	1957080
3	BALAGHAT	बेहर, बिरसा	2	Mar-21	426696
योग —			21		2715757

उपरोक्त आवंटन बजट शीर्ष 40-2202-02-109-0101-6968-31-004 मद में उपलब्ध आवंटन से दिया जा रहा है। यह राशि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के डी.डी.ओ. कोड में उपलब्ध कराई जा रही है।


भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित करने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा कि :-

1. यह राशि मंडला, धार एवं बालाघाट जिले के ट्राइबल क्षेत्र में स्थित मॉडल विद्यालयों में कार्यरत डाटा एन्ट्री आपरेटर के लिये जिला शिक्षा अधिकारी के डी.डी.ओ. में आवंटित की गयी है।
2. आउटसोर्स पर रखे गए डाटा एन्ट्री आपरेटर म.प्र. भंडार क्रय नियमों के अनुसार रखे गए हों।
3. जिस अवधि का अनुबंध है, उसी अवधि का भुगतान किया जा रहा है। अनुबंध अवधि समाप्त हो जाने अथवा नवीनीकरण न होने वाली अवधि का भुगतान वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।
4. त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए आहरण संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
5. संबंधित आपरेटर्स का जिस अवधि का भुगतान किया जा रहा है, उसने क्या कार्य किया गया है उसका प्रमाणीकरण कार्य लेने वाले विहित अधिकारी द्वारा किया गया हो।
6. पूर्व में एजेंसी को डाटा एन्ट्री आपरेटर के मानदेय हेतु किए गए भुगतान का प्रमाण आरटीजीएस (जिसमें एजेंसी द्वारा संबंधितों के खाते में राशि प्रदान की हो) प्राप्त हो गया हो तथा उससे राशि का मिलान कर लिया गया है।
7. पूर्व में यदि जीएसटी का भुगतान किया गया हो तो संबंधित से जीएसटी जमा करने का प्रमाण (चालान इत्यादि) प्राप्त कर लिया गया हो।

 निरन्तर -2-

8. नियमानुसार EPF एवं ESIC की राशि संबंधित संस्था में जमा की जा रही है अथवा नहीं, की पुष्टि की जाये।
9. भुगतान के उपरांत संलग्न प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भुगतान से 7 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. यदि किसी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त आवंटित राशि या किसी अंश का व्यय किया जाना संभव नहीं हो तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)




(संजय कुमार)
संयुक्त संचालक वित्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/आई.टी.सेल/आउटसोर्स/149/2020/179
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 02.03.2021

1. प्रधानमहालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव वित्त विभाग म.प्र. शासन वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन वल्लभ भवन भोपाल।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल म.प्र.।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
7. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
8. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।



संयुक्त संचालक वित्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदेश क्रमांक दिनांक..... में दिये गये निम्नानुसार निर्देशों का पालन करते हुये आउटसोर्स पर कार्यरत डाटा एंट्री आपरेटर के मानदेय हेतु आउटसोर्स एजेन्सी को राशि रू..... का भुगतान किया गया है-

1. यह भुगतान स्वीकृत मॉडल विद्यालयों में कार्यरत डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु किया गया है, अतः इस अवधि में स्वीकृत विद्यालयों की संख्या से अधिक आपरेटर का भुगतान नहीं किया गया है।
2. आउटसोर्स पर डाटा एंट्री आपरेटर म.प्र. मंडार कय नियमों के अनुसार ही रखे गए हैं।
3. जिस अवधि का अनुबंध है, उसी अवधि का भुगतान किया जा रहा है। अनुबंध अवधि समाप्त हो जाने अथवा नवीनीकरण न होने वाली अवधि का भुगतान वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।
4. त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए आहरण संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
5. संबंधित आपरेटर्स का जिस अवधि का भुगतान किया जा रहा है, उसने क्या कार्य किया गया है उसका प्रमाणीकरण कार्य लेने वाले विहित अधिकारी द्वारा किया गया हो।
6. पूर्व में एजेन्सी को डाटा एंट्री आपरेटर के मानदेय हेतु किए गए भुगतान का प्रमाण आरटीजीएस (जिसमें एजेन्सी द्वारा संबंधितों के खाते में राशि प्रदान की हो) प्राप्त हो गया हो तथा उससे राशि का मिलान कर लिया गया है।
7. पूर्व में यदि जीएसटी का भुगतान किया गया हो तो संबंधित से जीएसटी जमा करने का प्रमाण (चालान इत्यादि) प्राप्त कर लिया गया हो।
8. नियमानुसार EPF एवं ESIC की राशि संबंधित संस्था में जमा की जा रही है अथवा नहीं, की पुष्टि की जाये।

कुल प्राप्त राशि में से राशि रू..... का भुगतान किया गया है तथा राशि रू..... शेष उपलब्ध है। आउटसोर्स एजेन्सी से डाटा एंट्री आपरेटर हेतु किये गये अनुबंध की अवधि दिनांक से तक है।

हस्ताक्षर एवं सील